न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/1484

1. सुआलाल पुत्र भौरेलाल उर्फ भोरया (मृतक)
   1/1 मनसुख दत्तक पुत्र सुआलाल
2. गिर्राज पुत्र भौरेलाल उर्फ भोरया (मृतक)
   2/1. श्योराम पुत्र गिर्राज
   2/2. धोल्या पुत्र गिर्राज
   2/3. मिठठन पुत्र गिर्राज
   2/4. कमलेश उर्फ कटटी पुत्री गिर्राज
   2/5. चम्मौ पुत्री गिर्राज
   2/6. बत्तौ पुत्री गिर्राज
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बीजवाड नःका तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र रामदयाल (मृतक दौराने अपील)
   1/1. बाबूलाल पुत्र रामकिशोर (नाम हजफ आदेश दिनांक 18.6.2025)
   1/2. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशोर (नाम हजफ आदेश दिनांक 18.6.2025)
   1/3. कलावती पुत्री रामकिशोर (नाम हजफ आदेश दिनांक 18.6.2025)
   समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम बीजवाड नःका तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
   1/4. चन्दन देवी पत्नी ओमप्रकाश गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर 354–बी, स्कीम नम्बर 2 अलवर (आदेश दिनांक 18.6.25)
2. कज्जी पुत्र भौरेलाल उर्फ भौरया (मृतक)
   2/1. हेतराम पुत्र कज्जी
   2/2. संगीता पुत्री कज्जी
   2/3. श्रीमती चन्दो बेवा कज्जीसमस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर ।

– रेस्पोडेन्ट

3. जलसिंह उर्फ जल्लीराम पुत्र भौरेलाल उर्फ भौरया (नाम हजफ)
4. मु० बाला बेवा गंगासहाय (नाम हजफ दिनांक 22.9.2016)
5. कमलेश पुत्री गंगासहाय (नाम हजफ दिनांक 22.9.2016)
6. धर्मसिंह पुत्र गंगासहाय (नाम हजफ दिनांक 22.9.2016)

–तरतीबी रेस्पोडेंट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.11.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर प्रार्थना पत्र संख्या 3/73 अंतर्गत धारा 136

उपस्थित–

1. श्री राजाराम चौधरी वकील अपीलान्ट।
2. श्री राजकमल गौड रेस्पो0 संख्या 1/4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–08.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर राजस्थान के निर्णय दिनांक 13.11.2006 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम बीजवाड के आराजी खसरा नंबर 855, 856, 860 रकबा 16 में से 1/4 हिस्सा एवं चाह नम्बर 854, 559 को मुताबिक पंजीकृत बैयनामा दिनांक 24.08.73 के आधार पर प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि में भौरेलाल पुत्र सुगना हिस्सा 1/4 के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रामदयाल किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2006 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 13.11.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 13.11.2006 निरस्त करने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुये 136 एल आर एक्ट के तहत बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये ही आलोच्य आदेश दि. 13.11.06 को पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार गंगासहाय जिसके वारिसान तरतीबी रेस्पो0 सं० 4 लगायत 6 है, तथा भौरेलाल की शामलाती खातेदारी की आराजी थी, गंगासहाय के वारिस भी मौके पर काबिज हैं और मकान बना रखे हैं, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने तलब नहीं किया। तहत अदालत ने गौर नही किया कितथाकथित विक्रय पत्र के बाद इन्तकाल संख्या 251 नजरसानी मे चला गया था, जिसका निस्तारण, नही हुआ है। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत किसी रिकोर्डेड खातेदार का नाम रिकार्ड से हटाकर दीगर व्यक्ति का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित नही किये जा सकते । क्योंकि एल आर एक्ट की धारा 136 समरी प्रोसीडिंग होती है, जिसमे पक्षकारान के हकूक कानूनन तय नही किये जा सकते। भौरेलाल खातेदार का नाम हटाकर रेस्पो0 सं० 1 को खातेदार दर्ज किये जाने के पारित किये है, वो एकदम विधि विरुद्ध एवं क्षेत्राधिकार विहीन है, इसलिए भी आदेश जेरे अपील काबिल खारिज है। रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्धनही है, ना उसका कोई कब्जा है। ऐसी स्थिति मे भी आदेश जेरे अपील खिलाफ कानून होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस आदेश से किसी अन्य ब्यिक्त के हकूक प्रभावित होते हों, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, किन्तु तहत अदालत ने न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो को अनदेखा करके आदेश जेरे अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड एवं तथ्यों का अवलोकन किये क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर 13.11.2006 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम बीजवाड के आराजी खसरा नम्बर 855, 856, 860 रकबा 16 बीघा मे से 1/4 हिस्सा एवं चाह नम्बर 854, 559 मिन प्रार्थी ने भौरेलाल नामक व्यक्ति से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 24.08.73 से खरीद की थी। विक्रय पत्र दिनांक 24.08.1973 के आधार पर नामा0 संख्या 251 दिनांक 09.1974 को प्रार्थी रामकिशोर के नाम दर्जकिया जा चुका था। जिसके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष ग्राम बीजवाड के आराजी खसरा नंबर 855, 856, 860 रकबा 16 में से 1/4 हिस्सा एवं चाह नम्बर 854, 559 के संबंध में हुये नामा0 संख्या 251 का राजस्व रिकार्ड में खातेदार भौरेलाल पुत्र सूगरा गुर्जर हिस्सा 1/4 के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रामदयाल का नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् प्रस्तुत किया है। इस संबध में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 के प्रावधानों के संबंध में माननीय सवोच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने अनेकों दृष्टान्तों में प्रतिपादित किया है कि:–

Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 136- Scope- Only clerical errors or some admitted errors which might have crept into the revenue records can be rectified under the section. When Section 136 is looked into and perused, it would be Crystal clear therefrom that the said power could be exercised by rectifying only the clerical errors or some admitted errors. Under this Section Land Record Officer can make correction in the record when mistake comes to his knowledge on his inspection of the land records or when such mistake is admitted by both the parties.

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 के तहत् केवल मात्र लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् प्रस्तुत किया है। जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि खातेदारी अधिकार सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिये ही तय कराये जाने चाहिए थे। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 के प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2006 निरस्त किया जाता है।

(पुनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर